कार्यालयः असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लखीसराय

अल्पकालीन निविदा

चालू वित्तीय वर्ष–2017–18 में अगले 02 (दो) वर्षो के लिए लखीसराय जिलान्तर्गत सरकारी अस्पतालों के लिए औषधि–रसायन एवं पावरयुक्त चश्मा के क्रय हेतु जिला क्रय समिति की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है।

शर्तें :– निविदा के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न रहना अनिवार्य है :–

1. अग्रधन :– 50,000/– (मो0 पचास हजार) रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट/एन0एस0सी0, जो सिविल सर्जन, लखीसराय के पदनाम से नामित हो। लधु उधोग इकाई हेतु सरकारी आदेशानुसार अग्रधन में छुट देय है। पावर युक्त चश्मा संबंधी निविदा के लिए अग्रधन की अवश्यकता नहीं है एवं संबंधित निविदादाताओं के तकनीकी निविदा में जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र एवं पैनकार्ड की छायाप्रति संलग्न रहना अनिवार्य है।

2. दवा निर्माण/विक्रय संबंधी अनुज्ञप्ति एवं अद्यतन नवीकरण प्रमाण–पत्र तथा विक्रय–कर संबंधी GST प्रमाण–पत्र एवं PAN कार्ड की छायाप्रति।

4. G.M.P. एवं Non-Conviction प्रमाणित औषधि निर्माता या उनके प्राधिकृत आपूर्तिकर्त्ता हीं निविदा में भाग ले सकते है एवं निविदत्त औषधियाँ संबंधित औषधि नियंत्रण प्रशासन से निर्माण हेतु अद्यतन अनुमोदित हो तथा जिन निर्माताओं की औषधियाँ आपूर्ति की जायेगी उनका प्राधिकार पत्र, अनुज्ञप्ति एवं अद्यतन नवीकरण प्रमाण–पत्र, जी0एम0पी0 प्रमाण–पत्र एवं Non-Conviction प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न रहना अनिवार्य है।

5. सरकार (राज्य एवं केन्द्र सरकार) द्वारा निर्गत काली सूची में निविदादाता फर्म एवं उन्हे प्राधिकृत करने वाले निर्माता फर्म दर्ज न हों, निविदादाता फर्म द्वारा इस आशय का प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के स्तर से निर्गत शपथ–पत्र की मूल प्रति (छायाप्रति मान्य नहीं होगा) संलग्न रहना अनिवार्य है। साथ ही उक्त शपथ पत्र में यह भी वर्णित हो कि निविदा में संलग्न सभी अभिलेख एवं कागजात सत्य एवं सही है। चश्मा के निविदादाता को भी प्रथम श्रेणी दंण्डाधिकारी के स्तर से निर्गत 1.) निविदा में संलग्न सभी कागजात की सत्यता एवं 2.) काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। निविदादाता द्वारा प्रेषित निविदा में संलग्न सभी अभिलेख पूर्ण हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ स्व–अभिप्रमाणित होना चाहिए।

6. औषधि आपूर्ति से संबंधित निविदादाता फार्म का विगत एक वर्ष के अन्दर का स्थानीय औषधि निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन/भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की छायाप्रति।

7. निविदा टंकित हो तथा दवा एवं अन्य सामग्री की प्रेषित सूची में विशिष्टता के साथ कररहित एवं करसहित दर अलग–अलग स्पष्ट रूप से अंकित हो। तकनीकि निविदाओं में शर्तों के अनुसार सभी अभिलेख एवं अग्रधन रहना चाहिए तथा वित्तीय निविदा में साईज, पैकिंग, दर (कररहित एवं करसहित) तथा निर्मात्ता का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

8. आपूर्ति की जाने वाली दवाओं पर "Government Hospital Supply not for Sale" स्पष्ट रूप से अंकित हो एवं "MRP" अंकित औषधियाँ स्वीकार नहीं की जायेगी।

9. निविदा के साथ फर्म/पार्टनर का नाम एवं पता अलग पृष्ठ में संलग्न हो।

दवा–रसायन की सूची कार्यालय से कार्य दिवस के कार्य अवधि में प्राप्त किया जा सकता है तथा कार्यालय से प्राप्त सूची के अनुसार (क्रमांक साहित) ही निविदा प्रेषित होना चाहिए। तकनीकि एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में (लिफाफे पर बड़े अक्षरो में **"दवा–रसायन/पावरयुक्त चश्मा हेतु"** स्पष्ट रूप से अंकित हो) अलग–अलग निबंधित डाक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में प्रथम प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर सिविल सर्जन कार्यालय, लखीसराय द्वारा कार्य दिवस के कार्य अवधि में स्वीकार किया जायेगा।

कार्यालय में निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस को सभी तकनिकी निविदाएँ जिला क्रय समिति, लखीसराय की आहुत बैठक में खोली जायेगी एवं उक्त तिथि को निविदादाता भी उपस्थित रह सकते है। समिति के पास निविदा के संदर्भ में किसी तरह का न्यायसंगत निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

27.1.18

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
लखीसराय।